मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1096 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 07 MAY 2015

प्रति,

1. क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... (म.प्र.)
2. समस्त जोन प्रभारी, तकनीकी शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- उद्योगों के वर्गीकरण के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना बाबत् ।

—0—

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 135वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 में लिये गये निर्णयानुसार उद्योगों का पुनः वर्गीकरण अधिसूचना क्रमांक 678, दिनांक 01 अप्रैल 2015 के द्वारा किया गया है जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अप्रैल 2015 में प्रकाशित हुये की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(डॉ0 अभय सक्सेना)
मुख्य रसायनज्ञ (प्रशासन)

पृ.क. /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

शाखा प्रभारी, आई.टी. शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की सूचनार्थ। अधिसूचना की प्रति संलग्न है कृपया इसे बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(डॉ0 अभय सक्सेना)
मुख्य रसायनज्ञ (प्रशासन)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 619 /स्था/प्रनिबो/15 भोपाल दिनांक 30/3/15

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य बोर्ड की 124 वीं बैठक दिनांक 10.2.2011 में लिये गये निर्णय अनुसार उद्योगों संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी राशि आदेश क्रमांक 438 दिनांक 28/2/2011 द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य बोर्ड की 135 वीं बैठक दिनांक 13.2.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार उद्योगों/संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी की राशि एवं प्रकिया निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1 प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु उद्योगों/संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी की राशि प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित कराये जाने वाले कार्यो/उपकरणों की अनुमानित राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी ।

2 बैंक गारन्टी की राशि निर्धारित करने, जप्त करने व समयावधि बढ़ाने/कम करने की शक्तियाँ अध्यक्ष को व लघु उद्योग श्रेणी की इकाईयों हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को होंगी । उपरोक्त कार्यवाही बैंक गारन्टी प्रकरण समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर की जायेंगी ।

3 उद्योगों संस्थानों द्वारा प्रस्तुत समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार कार्य नहीं करने के कारण समयबद्ध कार्ययोजना की अवधि बढ़ाने संबंधी कार्यवाही अन्तर्गत बैंक गारन्टी राशि पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से पेनल्टी राशि बोर्ड को जमा करनी होगी ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ. क्र 620 /स्था/प्रनिबो/15, भोपाल दिनांक 30/3/15,
प्रतिलिपि :-

1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2 समस्त समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

3147

6262

1/4/15

मध्यप्रदेश शासन,
वणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक /03/2015

क्रमांक एफ 11–90/2010/बी–ग्यारह : उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ मे जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20–1/2010/बी–ग्यारह, भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है :–

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	रेडीमेड गारमेंटस पार्क "दुकूल" गदाईपुरा, ग्वालियर	ग्वालियर	19.99

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–90/2010/बी–ग्यारह, भोपाल, दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक,शासकीय केन्द्र मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशन की 100 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजे।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. संभागायुक्त, ग्वालियर, ग्वालियर,
5. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल,
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर
8. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल,
9. कलेक्टर, जिला ग्वालियर,
10. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ग्वालियर,
11. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–16

क्रमांक 2132/स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2014

प्रति

1. समस्त शाखा प्रभारी,
   मुख्यालय,
   म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   भोपाल
2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   इंदौर/उज्जैन/धार/गुना/ग्वालियर/सागर/रीवा
   सतना/शहडोल/सिंगरौली/कटनी/जबलपुर/भोपाल
3. प्रयोगशाला प्रभारी,
   म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   इंदौर/उज्जैन/गुना/ग्वालियर/सागर/रीवा
   सतना/शहडोल/सिंगरौली/जबलपुर/भोपाल

विषय :– बोर्ड की ओर से जारी किये जाने वाले सम्मति एवं प्राधिकार प्रकरणों में समान प्रक्रिया के पालन बाबत् ।

———

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हस्तन तथा सीमापार संचलन) नियम 2008, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम 1998, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम 2000 में बोर्ड की ओर से जारी किये जाने वाले सम्मति/प्राधिकार एवं सम्मति व प्राधिकार नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित है । अधिनियम एवं नियमों में वर्णित उक्त प्रक्रिया का पालन करना विधिसम्मत अनिवार्यता है । तदनुसार समान प्रकरणों में समान प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आपके द्वारा संपादित समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयों में एकरूपता हेतु विशेष ध्यान रखा जाये व जिन प्रकरणों में परिस्थितिजन्य निर्णय में भिन्नता जैसी स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसे प्रकरणों में कारणों को आवश्यक रूप से लिपिबद्ध

किया जाय । कृपया सूचित हो भविष्य में नियमों एवं प्रकिया का पालन नहीं किये जाने, निर्णयों में भिन्नता पाये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।

(एन.पी. शुक्ला)
अध्यक्ष

पृ.क्रमांक / / स्था / मुप्रनिबो / 2014 भोपाल, दिनांक सितंबर, 2014

<u>प्रतिलिपि</u> :–

सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एन.पी.शुक्ला)
अध्यक्ष

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल-16

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

प्रदेश मे स्थित उद्योगों/संस्थानों एवं अन्य विषयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण एवं उद्योगों/संस्थानों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु निम्नानुसार विजिलेंस सेल का गठन किया जाता है :-

1.	श्री ए. ए. मिश्रा, सदस्य सचिव	-	प्रभारी
2.	डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ	-	सदस्य
3.	श्री एच. एस. मालवीय, कार्यपालन यंत्री	-	सदस्य

उपरोक्त सेल से संबंधित नस्तियों का संधारण एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य श्री सुभाष त्रिपाठी, अधीक्षक एवं मुकेश गोयल, शीघ्रलेखक के माध्यम से किया जायेगा।

-Sd-

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 37 /स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल,दिनांक 30/4/2014

प्रतिलिपि :-

1 निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
2 निज सचिव, सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3 सर्व संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4 समस्त जोन प्रभारी/समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशाला प्रभारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।
5 आईटी शाखा ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1222-स्था/प्रनिबो/2014 भोपाल, दिनांक 02-5-14

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री I,II,
कार्यपालन यंत्री I,II,III,IV,
शाखा प्रभारी ....,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म0प्र0)

2. क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी,
क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशाला,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इन्दौर/उज्जैन/गुना/ग्वालियर/सागर/
जबलपुर/सतना/सिंगरौली/शहडोल/
धार/रीवा/कटनी/भोपाल (म0प्र0)

विषय :- नस्तियों हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम लिखे जाने बावत्।
संदर्भ :- बोर्ड का पत्र क्रमांक 983, दिनांक 18.04.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त टीप क्रमांक सीएस/सा./41/2013 दिनांक 15.03.2013 के निर्देशानुसार नस्तियों पर टीप प्रस्तुत करते समय संबंधित अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की अधिकारी के हस्ताक्षर वही होना चाहिए, जिससे वह बैंको से व्यवहार करते हैं। पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसका पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/14, भोपाल,दिनांक /2014

आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि कई नस्तियाँ अनावश्यक रूप से विधि शाखा को अंकित की जाती है जिसमें विस्तृत टीप अंकित न होने के कारण विधिक राय देने में असुविधा होती है ।

अतः भविष्य में बिना अध्यक्ष/सदस्य सचिव की अनुमति के कोई भी नस्ती विधि शाखा को अंकित न की जायें एवं प्रकरण व संबंधित बिन्दु जिस पर विधिक राय की आवश्कता है स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त टीप के साथ अध्यक्ष/सदस्य सचिव के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावें ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1331 /स्था/प्रनिबो/2014, भोपाल,दिनांक 31/6/ /2014

प्रतिलिपि :–

1 निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

2 निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

3 प्रभारी अधिकारी [illegible] मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

4 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5 उपक्षेत्रीय अधिकारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6 आई. टी. शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

7 गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755)2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com, www.mppcb.nic.in

क्रमांक 624/लेखा/प्रनिबो/2012 भोपाल दिनांक 19-10-2012

//कार्यालय आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-12/2010-नियम/चार, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के अनुसार राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत् राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी यथास्थिति में लागू किया जाता है ।

(आर. के. जैन)
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक /लेखा/प्रनिबो/2012 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. वित्त अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. कार्यालय आदेश नस्ती ।
6. नोटिस बोर्ड ।

(आर. के. जैन)
सदस्य सचिव

7450

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

Office of the M. P. ... Control Board, BHOPAL
No 16107
Dt 10/9/12

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक (1) ज्ञाप क्रमांक 100/592/93/नि-1, दिनांक 28-6-93, (2) ज्ञाप क्रमांक एफ 4/5/2002/नियम/चार, दिनांक 30-8/3-9-2002 (3) ज्ञाप क्रमांक एफ 4/4/2003/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003, (4) ज्ञाप क्रमांक एफ-4-4-/2002/नियम/चार, दिनांक 16 नवम्बर, 2005, (5) ज्ञाप क्रमांक एफ-4-7/2007/नियम/चार दिनांक 23 अक्टूबर, 2007, (6) ज्ञाप क्रमांक एफ 4-8/2007/नियम/चार, दिनांक 17-12-2007, एवं (7)ज्ञाप क्रमांक एफ 4-5/2007/नियम/चार, दिनांक 17-12-2007.

--•••--

राज्य वेतन आयोग की राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों की संरचनाओं में पुनरीक्षण संबंधित अनुशंसाओं पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यात्रा भत्ते की दरें, पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुये संदर्भित ज्ञापनों में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) **कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण -** मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम 1977 के पूरक नियम 5 अनुसार शासकीय सेवकों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण मासिक वेतन के आधार पर है । राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार अब मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ते के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-

श्रेणी	ग्रेड वेतन
(1)	(2)
ए	₹ 7600 एवं अधिक
बी	₹ 6600 एवं अधिक पर ₹ 7600 से कम
सी	₹ 4200 एवं अधिक पर ₹ 6600 से कम
डी	₹ 2400 एवं अधिक पर ₹ 4200 से कम
ई	₹ 2400 से कम

(2) **वाहन भत्ता** - ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या उससे कुछ दूरी पर शासकीय कार्य से स्वंय के वाहन से अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होती है, को यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में वाहन भत्ता प्राप्त होता है । आयोग की अनुशंसा अनुसार वाहन भत्ते की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

शासकीय कर्तव्य पर किया जाने वाला औसत माहवारी सफर किलोमीटर	स्वयं की मोटरकार से.	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
(1)	(2)	(3)
201 से 300	750	300
301 से 450	1125	400
451 से 600	1375	500
601 से 800	1625	600
800 से अधिक	2000	700

(3) **दैनिक भत्ता** - यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30), मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55-ए अनुसार) दिया जाता है ; राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई है। तदनुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर .	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिये दर .
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200
ई	70	105	140

(4) **यात्रा के साधन** - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु श्रेणी निर्धारित की जाती है :-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011/नियम/चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 या अधिक है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे । इसके साथ ही वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों के अनुसार माननीय मंत्रीगणों, मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास /बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी ।

(5) <u>मील भत्ता</u> - पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नांकित दरें निर्धारित की जाती है :-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ मे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ए श्रेणी के ₹ 7600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हे शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	05	10,000
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	02	2000
3	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	01	500

(6) ठहरने की पात्रता - आयोग की अनुशंसा अनुसार यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली,मुम्बई,कोलकत्ता चैन्नई,बैंगलोर,हैदराबाद, अहमदाबाद,कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर (कालम 2 को छोड़कर) के स्थानों में होटल में ठहरने पर .	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर/ महानगर में मित्र / रिश्तेदार के यहां ठहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250
ई	500	375	250	200

(7) प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-4/2002/नियम/चार, दिनांक 16-11-2005 द्वारा राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में सरकारी काम से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु स्वीकृत दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि. (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100
5	ई	150	50

(8) <u>स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन</u> - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए ग्रेड वेतन के अनुसार श्रेणीकरण के आधार पर निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
(1)	(2)	(3)
1	"ए" एवं "बी"	18
2	"सी" एवं "डी"	09
3	"ई"	06

(9) **स्थानान्तरण अनुदान** - शासकीय सेवकों का एक मुख्यालय से अन्य मुख्यालय पर जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
(1)	(2)	(3)
1	ए	3000
2	बी	2400
3	सी	1800
4	डी	1200
5	ई	900

यह आदेश दिनांक 01-08-2012 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा। जिन प्रकरणों में अंतिम भुगतान किया जा चुका है, वह पुनः नहीं खोले जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में यथा आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 3551 — 35 /2012/18–3 भोपाल दिनांक /8/12/2012

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
   मध्यप्रदेश।

विषय :– याचिका क्रमांक 7532/2011—श्री रामसेवक शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

—000—

मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, याचिका क्रमांक 7532/2011 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2012 की प्रति संलग्न है। समस्त नगरीय निकाय मान. न्यायालय की अपेक्षानुसार अपने सीमा क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
13/12/12
(के.के. कातिया)
उप सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठां क्रमांक / /2012/18–3 भोपाल दिनांक/8/12/2012
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

HR1450

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 57 विधि/प्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक 02-01-13

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री I,II,
कार्यपालन यंत्रीI,II,III,IV,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इन्दौर/उज्जैन/गुना/ग्वालियर/सागर/
जबलपुर/सतना/सिंगरौली/शहडोल/
धार/रीवा/भोपाल (म.प्र.)

विषय :- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त पत्र के संबंध में ।

उपरोक्त विषयातंर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक J-11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(आर0 के0 जैन)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

W 7-General Letter

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 3334 स्था/मुप्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक 29-11-12

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री I,II,
कार्यपालन यंत्रीI,II,III,IV,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इन्दौर/उज्जैन/गुना/ग्वालियर/सागर/धार/
जबलपुर/सतना/सिंगरौली/शहडोल/
रीवा/भोपाल (म.प्र.)

विषय :- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार) से प्राप्त पत्रों के संबंध में ।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र कमांक B-4004/PCI(SSI) 2012/631, दिनांक 19.10.2012 तथा पत्र कमांक B-31011(BMW)30/93/HWMD/9017, दिनांक 14 नवम्बर, 2012 की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर. के. जैन)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

W-7-General Letter

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS, GOVT. OF INDIA)

Reminder -II

REGD POST

B-4004/PCI(SSI)/2012 631

19.10.2012

To,
Member Secretary
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parisar,
E-5, Arera Colony,
Bhopal-462016

Sub: Development of Comprehensive Industry Document (COINDS) for Small Scale Paint Industries.

Sir,

[redacted]) Central Pollution Control Board has taken up project "Development of Comprehensive Industry Document for Small Scale Paint Industries." and engaged the services of National Productivity Council, 5-6, Institutional Area, Utpadakta Bhawan, Lodhi Road,Delhi-110003 as Consultant. The project activity includes the collection of preliminary information about the Small Scale Paint Industry in the country and followed by detailed study in few of the units covering all aspects of manufacturing process and associated environmental issues.

In this regard, NPC has interacted and sent the questionnaire to the Small Scale Paint Units in your state but the response received is not satisfactory and requested CPCB for co-operation. CPCB has requested you vide letter dated 29.03.2012, and 12.01.2012, for providing the information about the Small Scale Paint Industries in your state. The information is yet to be received.

[redacted] It is therefore, requested that the information about Small Scale Paint Industries in your state may be provided in the enclosed format to NPC and CPCB for timely execution of the project. The information may also be mailed at pcissi.cpcb@gmail.com.

All SE's & EE's
ALO

Yours faithfully

(U.N. SINGH)
AD & I/C PCI (SSI)

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi - 110032
दूरभाष/Tel. : 43102030, फैक्स/Fax : 22305793, 22307078, 22307079, 22301932, 22304948
ई-मेल/e-mail : cpcb@nic.in वेबसाईट/Website : www.cpcb.nic.in

Madhya Pradesh Pollution Control Board

E-5, Arera Colony, Paryavaran Parisar, Bhopal - 462016
Madhya Pradesh, INDIAPBX: +91-755-2464428/2466191
Fax No : +91-755-2463742
E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

कमांक ५०४ /विधि/प्रनिबो/12, भोपाल, दिनांक 20/11/12,

प्रति,

1 अधीक्षण यंत्री–1 एवं 2
कार्यपालन यंत्री–1,2,3,4,5
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

2 क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
धार इन्दौर ग्वालियर विजयपुर
जबलपुर सागर सतना रीवा उज्जैन
भोपाल,सिंगरौली,शहडोल

विषयः– **Simplification of clearance procedure for SEZs.**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का **Office Memorandum** दिनांक 1/11/12,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। तदानुसार संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

for
~~(डॉ.अभय सक्सैना)~~
मुख्य रसायनज्ञ

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों/संस्थानों को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले सम्मति/नवीनीकरण हेतु शुल्क निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2009 अनुसार उद्योगों/संस्थानों का शुल्क उसके लाल/नारंगी/हरे वर्गीकरण अनुसार किया जा रहा है ।

उक्त वर्गीकरण के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1	सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष
2	श्री आर.के.श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री	सदस्य
3	डॉ0 अभय सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ	सदस्य
4	श्री एच.एस.मालवीय, कार्यपालन यंत्री	संयोजक

समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने एवं बैठक के आयोजन संबंधी कार्यवाही समिति के संयोजक द्वारा की जावेगी ।

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 3638 /स्था/प्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक 27-12-12

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त जोन प्रभारी, तकनीकी शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । SE-II
3. सर्व संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. आर्डर बुक ।

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल-16.

क्रमांक /स्था/प्रजिबो/2012 भोपाल, दिनांक

:: कार्यालय आदेश :-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1035 (अ) दिनांक 12/05/2011 द्वारा जारी ई-अपशिष्ठ (प्रबंध और हथालन) नियम, 2011 के नियम 18 की अनूसूची (III) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त ई-अपशिष्ठों के, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, भंजन, पुनःचक्रण और व्ययन करने वाले संस्थानो के पंजीयन करने संबंधी शक्तियाँ राज्य बोर्ड की 129 वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

क्र.	कार्य	प्राधिकारी
1.	ई-अपशिष्ठ का सूचीकरण ।	अध्यक्ष-क्षेत्रीय अधिकारी
2.	प्राधिकार प्रदान करना और उसका नवीनीकरण । अ. ग्रहण, संग्रहण, भंजक एवं पुनःचक्रणकर्ता ब. संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं व्ययन	अ. अध्यक्ष ब. क्षेत्रीय अधिकारी
3.	ई-अपशिष्ठ पुनः चक्रणकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण ।	अध्यक्ष
4.	प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण शर्तो की मॉनिटरिंग का अनुपालन की मॉनिटरिंग ।	क्षेत्रीय अधिकारी
5.	प्राधिकार आदि के लिये लगाई गई शर्तो की सूचना का रखरखाव की सूचना ।	क्षेत्रीय अधिकारी
6.	पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ पुनः चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिये कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।	क्षेत्रीय अधिकारी
7.	इन नियमों के अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही करना	क्षेत्रीय अधिकारी
8.	भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित अन्य कार्य ।	अध्यक्ष

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 3547 /स्था/प्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक 18-12-12

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, तकनीकी शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । SE-II
3. श्री एच.एस.मालवीय, कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. आर्डर बुक ।

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: www.mppcb.nic.in

क्रमांक /तक/प्रनिबो/2012, भोपाल, दिनांक

//कार्यालय आदेश//

मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (टेक्सटाईल यूनिट) ग्राम पीलीकरार तलपुरा, रेहटी रोड़, बुधनी जिला सीहोर के दूषित जल उपचार संयंत्र के निरीक्षण/समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. डॉ. रीता कोरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी – सदस्य
2. श्री आर.के. श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री – सदस्य
3. श्री व्ही.के. अहिरवार, अधीक्षण यंत्री – सदस्य
4. श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी – संयोजक

उक्त समिति उद्योग का निरीक्षण कर प्रदेश के अन्य समान उद्योगों के ई.टी.पी. का अध्ययन कर स्पष्ट अभिमत सहित जॉच प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी ।

sd/-
(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक 8765 /तक/प्रनिबो/2012, भोपाल, दिनांक 13-12-12

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. रीता कोरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. श्री आर.के. श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. श्री व्ही.के. अहिरवार, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल -16

क्रमांक 6749 /तक/प्रनिबो/2012, भोपाल, दिनांक 13-12-12

प्रति,

1. **डॉ.श्यामानुज तिवारी,**
   वैज्ञानिक,
   म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   भोपाल ।
2. **डॉ. आरती अग्रवाल,**
   वैज्ञानिक,
   म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   भोपाल ।
3. **श्री महिपाल जैन,**
   मानचित्रकार,
   म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   भोपाल ।

विषय :- 17 प्रकार के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन लाईन इमीशन, इफ्लूएंट तथा परिवेशीय मॉनिटरिंग व्यवस्था हेतु सम्मति शर्तो में प्रावधान।

संदर्भ :- सदस्य सचिव द्वारा भेजी नोटशीट दिनांक 14/3/2011 तथा दिनांक 12/12/2012

विषयान्तर्गत नोटशीट दिनांक 14/3/2011 तथा दिनांक 12/12/2012 की छायाप्रति संलग्न हैं । कृपया इस संबंध में आपके कार्यक्षेत्र में किये गये क्रियान्वयन की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करायें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(व्ही.के. अहिरवार)
अधीक्षण यंत्री

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD

PARYAWARAN PARISAR, E-5, ARERA COLONY, BHOPAL – 16

Phone : (0755) 2466 191/2464 428 Fax : (0755) 2463 742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

No. /LEGAL/HOPCB/2012 Bhopal, dt. /2012

To,

REGIONAL OFFICER,
M.P.POLLUTION CONTROL BOARD,
BHOPAL, INDORE, DHAR, UJJAIN, GWALIOR, JABALPUR, REWA, SAGAR, SATNA, SINGRAULI, SHAHDOL.

Sub: Notice for inspection to the industries/institutes under Water (Prevention and Control of Pollution)Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution)Act 1981 - Regarding

With reference above subject, the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Madhya Pradesh, Rules 1975 & Air (Prevention & Control of Pollution) Madhya Pradesh, Rules 1983 may please be perused. It is presumed that the Regional Officers may be following the necessary provisions of the environmental regulations. But during many court proceedings it was observed that the proof of of inspection and communication of observation to the industry/institute are need to be strengthen.

In view of the above, for consent condition compliance, site inspection or any other inspection of the industry, you are requested to comply with the legal requirements. You are requested to make sure that all the inspections carried out under Water, Air and Environmental Act or Rule shall be conducted after serving a notice in prescribed format for intention to have the industry inspected as per the provisions of the law under intimation to Board for Medium/Large scale industries.

The above procedure shall immediately be implemented.

(R. K JAIN)
MEMBER SECRETARY

Endt. No.3439 /LEGAL/HOPCB/ 2012 Bhopal, dt. 11 /12/2012

Copy to :-

1.0 The Unit Heads, M.P Pollution Control Board, **Bhopal** For information and further necessary action please. SE-II

2.0 Assistant Legal officer, M. P Pollution Control Board, **Bhopal** For information and further necessary action please.

(R. K JAIN)
MEMBER SECRETARY

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2005 भोपाल दिनांक

3301
12/11/05

-: कार्यालय आदेश :-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5(1) के तहत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय कार्य हेतु श्री हेमन्त शर्मा,अधीक्षण यंत्री,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल का नाम नामांकित किया जाता है ।

/

(बी.के.सिंह)
सदस्य सचिव

पृ०क्र० 19348 /स्था/प्रनिबो/2005 भोपाल दिनांक 28-10-05

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार की ओर सूचनार्थ ।
3. उपक्षेत्रीय अधिकारी,उपक्षेत्रीय कार्यालय,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. एकल खिडकी प्रणाली,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. निज सचिव,अध्यक्ष,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
6. श्री बृजेश शर्मा,सहायक यंत्री,आई.टी.शाखा को निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बेवसाईट पर तत्काल प्रसारित करें ।
7. सर्वसंबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
8. .... शाखा प्रभारी की ओर सूचनार्थ ।

(बी.के.सिंह)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

12/11

kas-1-OL
10.08.2005

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर ई–5 सेक्टर,अरेरा कालोनी,भोपाल.

क्रमांक 8086 लेखा / मुप्रनिबो / 2004.　　　　　　　　　　　　　　भोपाल,दिनाँक: 26-4-05

// कार्यालय आदेश /

बोर्ड के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्य से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर यात्रा की जाती है तथा की जाने वाली यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम लिया जाता है परन्तु यात्रा के उपरांत दावा क्लेम समय–सीमा में प्रस्तुत नही किये जाते है । वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए सभी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व माह में लिये गये यात्रा अग्रिम का संबंधित यात्रा देयक प्रस्तुत ना करने की दशा में लेखा–शाखा द्वारा यात्रा अग्रिम नही दिया जावेगा । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष में की गई समस्त यात्राओं का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य होगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क. 8081 / लेखा / मुप्रनिबो / 2005.　　　　　　　　　　　　　　भोपाल,दिनाँक: 26-4-05
प्रतिलिपिः–

1. समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । आपके आधीन कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी से उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है ।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,———— उक्त आदेश का स्वंय एवं अधीनस्थों से कड़ाई से पालन करने / कराने की जिम्मेदारी आपकी है ।
3. नोटिस बोर्ड ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

26.4.05

5/5/05

256
27-1-05

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2005 भोपाल दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 23.12.2004 को आयोजित 108 वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-6 में लिये गये निर्णय के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट (प्रबधन एवं हथालन) नियमो के अन्तर्गत उद्योगो को प्राधिकार जारी करने हेतु प्रशासनिक व्यय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

उद्योगों की श्रेणी	प्राधिकारी हेतु प्रशासनिक व्यय (रूपये)	प्राधिकारी नवीनीकरण हेतु प्रशासनिक व्यय (रूपये)
वृहद् एवं मध्यम श्रेणी	10,000/-	6000/- (प्रत्येक दो वर्ष पश्चात्)
लघु श्रेणी	5,000/-	3000/- (प्रत्येक दो वर्ष पश्चात्) -

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। जिन उद्योगों को प्राधिकार जारी किये जा चुके हैं उनसे प्रथम वर्ष की राशि छोड़कर आगामी तिथि ो प्राधिकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यय लिया जावे तथा जिन उद्योगों को प्राधिकार जारी किये जा रहें हैं उनसे उपरोक्तानुसार निर्धारित प्राधिकार एवं प्राधिकार नवीनीकरण का प्रशासनिक व्यय लिया जावेगा।

सही/-
(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ0क्र0 211 /स्था/प्रनिबो/2005 भोपाल दिनांक 5-1-05

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री (जोन-1,2,3,4 एवं 5) म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ----धार------- की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त शाखा प्रभारी, ------------------ म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

k-00/8

AE/Hwm/50
27.1.05

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनियो/2005 भोपाल दिनांक

:- कार्यालय आदेश :-

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 23.12.2004 को आयोजित 108 वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु कमांक-3 में लिये गये निर्णय के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगो को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा- 31'क' के तहत् निर्देश जारी करने की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी लघु श्रेणी के उद्योगो के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा- 31'क' के तहत् कार्यवाही करते समय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) म0प्र0 नियम 1975 तथा संशोधन नियम 1991 (नोटिफिकेशन कमांक एफ-11-5/32 दिनांक 31.5.1991) के नियम-37 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) म0प्र0 नियम 1983 तथा संशोधन दिनांक 29.7.1991 (नोटिफिकेशन कमांक एफ ... 8-86 XXXII दिनांक 29.7.1991) के नियम- 27 में उल्लेखित प्रकिया का विधिवत पालन करेंगे। उद्योगों का उत्पादन रोकने या निर्देश देते समय इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने तौर पर नही किया जाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरुप किया जाये। ऐसा कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नही की जाये और न ही स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया जाए। जो आधार सूचना पत्र में बताये जाये और जिन आधारों पर आदेश जारी किया जाये उनमें तालमेल होना आवश्यक है।

क्षेत्रीय अधिकारी उपरोक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिमाह प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करेंगे। प्रतिवेदन में जिन उद्योगो को उक्त धाराओं के तहत् नोटिस/निर्देश जारी किये जावेंगे, में नोटिस में उल्लेखित कारण तथा निर्देशों में उल्लेखित कारण का विवरण भी दिया जाये।

हस्ता/-

(धर्मेन्द्र शुक्ला)

सदस्य सचिव

पृ0क0 219 /स्था/प्रनियो/2005 भोपाल दिनांक 5-1-05

प्रतिलिपि :-

1 मुख्य अभियंता, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2 अधीक्षण यंत्री (जोन-1,2,3,4 एवं 5) म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बो0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 वरिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल ओर सूचनार्थ।
4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ---------- की ओर सूचनार्थ।
5 समस्त शाखा प्रभारी, ------------------ म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)

सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

30
(308)

3090
25/11/04

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2004 भोपाल दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य बोर्ड की 104 वी बैठक दिनांक 10.2.2003 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 6 में लिये गये निर्णय अनुसार पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रावधानो का लागू करते समय ली जानें वाली बैंक गारंटी की वापसी/जप्ती के संबंध में निर्णय हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1	सदस्य सचिव	अध्यक्ष
2	श्री सी0पी0 खरे, मुख्य अभियंता	सदस्य
3	डॉ0 एम0एल0 गुप्ता, वरिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित अधीक्षण यंत्री/वरिष्ट वैज्ञानिक, अधिकारी	सदस्य

समिति गुण-दोषो के आधार पर प्रकरणो का ऑकलन कर बैंक गारंटी की वापसी/जप्ती के संबंध में अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव अध्यक्ष म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने एवं बैंक गारंटी जप्त करने का अधिकार अध्यक्ष म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगा।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ0क्र0 20039/प्रशासन/प्रनिबो/2004 भोपाल दिनांक 17-11-04

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री जोन-2,3,4 एवं 5, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी (जल उपकर शाखा/अनुसंधान एवं विकास केन्द्र / खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन शाखा) म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ---------- की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व संबंधितो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
उप सदस्य सचिव

k-oo/30

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

226

क्रमांक/ 5087 /स्था/प्रनिबो/2003 भोपाल, दिनांक 2/3.03

::कार्यालय आदेश::

बोर्ड की 104 वीं बैठक दिनांक 11.02.2003 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 3 में लिये गये निर्णय अनुसार आंचलिक कार्यालय, जबलपुर एवं ग्वालियर समाप्त किये जाते हैं । इस निर्णय के परिपेक्ष्य में आंचलिक अधिकारी 31मार्च, 2003 तक कार्यालय बंद करते हुये सभी सामान (फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयीन रिकार्ड) क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की नस्तियाँ मुख्यालय भेजें । आंचलिक कार्यालय में कार्यरत् अधिकारी/ कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

(पी.सी. अग्रवाल)
अधीक्षण यंत्री (प्रशा)

पृ.क./ /स्था/प्रनिबो/2003 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल,................ शाखा ।
2. आंचलिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर / ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,.............. की ओर सूचनार्थ ।
4. नोटिस बोर्ड हेतु ।

(पी.सी. अग्रवाल)
अधीक्षण यंत्री (प्रशा)

GList.- 5 -

235

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 3555 /सा.प्र./प्रनिबो/2003 भोपाल दिनांक 20/2/03

प्रति

ऑचलिक अधिकारी/ऑचलिक कार्यालय,
क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय कार्यालय
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर/जबलपुर
भोपाल/इंदौर-1/इंदौर-2/उज्जैन/गुना/सागर/सतना/रीवा/

विषयः- राज्य बोर्ड की 104 वी बैठक दिनांक 11.2.2003 के कार्यवाही विवरण।

--0--

विषयान्तर्गत राज्य बोर्ड की 104 वी बैठक दिनांक 11.2.2003 के कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

(पी0सी0 अग्रवाल)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

पृ.कं. /सा.प्र./प्रनिबो/2003 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः-

1 समस्त शाखा प्रभारी -------------------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पी0सी0 अग्रवाल)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल

क्रमांक /स्था/मुप्रनिबो/04 भोपाल,दिनांक /04

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 106 वी बैठक दिनांक 16.01.04 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 3 में लिये गये निर्णय अनुसार पुनःचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम 1999 यथा संशोधित नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक थैलियाँ एवं कन्टेनर्स निर्माता लघु उद्योगो के रजिस्ट्रीकरण के अधिकार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र हेतु प्रत्योजित किये जाते है । इन विनियमों में आने वाले मध्यम/बृहद् श्रेणी के उद्योगों का रजिस्ट्रीकरण बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जावेगा ।

(डॉ0पी.सी.सेठ)
सदस्य सचिव

पृ.क. 2609 /स्था/मु.प्रनिबो/2004 भोपाल,दिनांक 7-2-/04
प्रतिलिपि :-

1 - समस्त शाखा प्रभारी,...............................म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2 - क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,............ की ओर सूचनार्थ ।

(डॉ0पी.सी.सेठ)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

196

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 सेक्टर अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /तक./मुप्रनिबो/2003 भोपाल,दिनांक

::कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड के आदेश क्रमांक 11516/तक/प्रनिबो/95 दिनांक 6/7/2002 के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन)नियम 2000 के अंतर्गत नगर पालिकाओं /नगर पंचायतों को प्राधिकार जारी करने हेतु आंचलिक अधिकारियों को अधिकार दिये गये थे ।

राज्य बोर्ड ने अपने आदेश क्रमांक 5087 स्था/प्रनिबो/03 भोपाल,दिनांक 21/3/03 के द्वारा आंचलिक कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया है । अतः नगर पालिकाओं /नगर पंचायतों को प्राधिकार जारी करने हेतु शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजित की जाती है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम
से तथा आदेशानुसार

/

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

पृ0क्र0/6630/तक./प्रनिबो/02 भोपाल दिनांक 5-4-03

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री जोन-1,2,3,4,5 म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जल उपकर/पश्चिम/पूर्व/ई.आर.सी/ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल,इंदौर/धार(इंदौर,)ग्वालियर,उज्जैन,रीवा सतना,गुना,जबलपुर, सागर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

NOTICE71

152

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक / /स्था/प्रनिबो/2003 भोपाल, दिनांक

//कार्यालय आदेश//

राज्य बोर्ड की 105 वीं बैठक दिनांक 30.6.2003 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 9 में लिये गये निर्णय अनुसार मेजर एवं माईनर खनिजों की 5 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल में फैली खदानों के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति नवीनीकरण प्रकरणों में अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के द्वारा सम्मति नवीनीकरण की कार्यवाही बोर्ड मुख्यालय से की जावेगी । 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की खदानों हेतु नवीनीकरण के अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी को दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

पृ.क./ 13793 /स्था/प्रनिबो/2003 भोपाल, दिनांक 25-8-03

प्रतिलिपिः–

1. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, SE IV शाखा
2. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,............ की ओर सूचनार्थ ।
3. स्थापना शाखा – कार्यालय आदेश नस्ती में अभिलेख हेतु ।

अधीक्षण यंत्री (प्रशा)

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

151

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक /   /स्था/प्रनिबो/2003   भोपाल, दिनांक

//कार्यालय आदेश//

राज्य बोर्ड की 66 वीं बैठक दिनांक 11.10.90 में निर्णय लिया गया था कि बोर्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथ प्रशासकीय आदि आवश्यक कार्यो हेतु विशेषज्ञों की सेवायें लेने हेतु अध्यक्ष किसी भी एक अवसर पर रूपये 100.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय 15 दिन की अधिकतम अवधि के लिये एक मुश्त भुगतान करने हेतु अधिकृत होंगे ।

तत्पश्चात् राज्य बोर्ड की 92 वीं बैठक दिनांक 17.8.98 में यह निर्णय लिया गया था कि विशेषज्ञों की सेवायें लेने हेतु रूपये 200.00 प्रतिदिन या अधिकतम रूपये 3,000.00 प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय भुगतान किया जा सकता है । अब राज्य बोर्ड की 105 वीं बैठक दिनांक 30.6.2003 के एजेण्डा बिन्दु कमांक 10 में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी विशेषज्ञ, विशेष आमंत्रित /अतिथियों को बैठक इत्यादि में आमंत्रित किये जाने पर प्रति बैठक रूपये 500.00 मानदेय दिया जावे । यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य बोर्ड की 66 वीं बैठक दिनांक 11.10.99 में लिये गये निर्णयों में मानदेय हेतु वर्णित कार्यो में से प्रशिक्षण शब्द विलोपित किया जावे ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । अन्य प्रकरणों में पूर्व में लिये गये निर्णय यथावत् रहेंगे ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

पृ.क./ 13795 /स्था/प्रनिबो/2003   भोपाल, दिनांक 25-8-03

प्रतिलिपिः–

1. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, SE IV शाखा
2. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,............... की ओर सूचनार्थ ।
3. स्थापना शाखा – कार्यालय आदेश नस्ती में अभिलेख हेतु ।

(हस्ताक्षर)

अधीक्षण यंत्री (प्रशा)
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

195

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 सेक्टर अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /तक./मुप्रनिवो/2003 भोपाल, दिनांक

::कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड के आदेश क्रमांक 19182/तक/प्रनिवो/2002 दिनांक 14/11/2002 के द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम 1998 के अंतर्गत 50 बिस्तरों से कम क्षमता वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, डिस्पेंसरियों, पैथालाजिकल, प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सालाओं व अन्य जीव चिकित्सा अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले संस्थानों को प्राधिकार जारी करने हेतु आँचलिक अधिकारियों को अधिकार दिये गये थे ।

राज्य बोर्ड ने अपने आदेश क्रमांक 5087 स्था/प्रनिवो/03 भोपाल, दिनांक 21/3/03 के द्वारा आँचलिक कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया है । अतः 50 बिस्तरों से कम क्षमता वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, डिस्पेंसरियों, पैथालाजिकल, प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सालाओं व अन्य जीव चिकित्सा अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले संस्थानों को प्राधिकार जारी करने हेतु शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजित की जाती है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम
से तथा आदेशानुसार

/

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

पृ0क्र0/ 6026/तक./प्रनिवो/02 भोपाल दिनांक 5-11-03

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री जोन-1,2,3,4,5 म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जल उपकर/पश्चिम/पूर्व/ई.आर.सी./ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, इंदौर/धार(इंदौर,)ग्वालियर, उज्जैन, रीवा सतना, गुना, जबलपुर, सागर ।

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

NOTICE72

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

क्रमांक 1534 /स्था/प्रनिबो/2012 भोपाल, दिनांक 01/6/2012

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री, II
   कार्यपालन यंत्री,
   जोन प्रभारी, जोन 1,2,3,4,5
   म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   तकनीकी शाखा, भोपाल

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, धार, सागर, उज्जैन,
   सतना, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, ग्वालियर, विजयपुर-गुना,

विषय :- म0प्र0 राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की 91 वीं बैठक दिनांक 11.5.2012 में लिये गये निर्णय पर कार्यवाही बावत् ।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्र कमांक 1353 दिनांक 23.5.2012

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से म0प्र0 राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की 91 वीं बैठक दिनांक 11.5.2012 में लिये गये निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी ।

कृपया सूचित हों कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 की अनुसूची 8 'ए' अनुसार ऐसी बिल्डिंग परियोजनायें जिसमें कुल निर्मित क्षेत्र 20000 वर्गमीटर से अधिक हो तथा 8 'बी' अनुसार ऐसी आवासीय परियोजनायें जिनका कुल क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक एवं कुल निर्मित क्षेत्र 1,50,000 वर्गमीटर से अधिक हो को पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना है ।

प्रदेश में कार्यरत मैसर्स द्वारकाधीश हवेली बिल्डर, भोपाल द्वारा अपनी आवासीय परियोजना जिसका कुल 1,27,689.45 वर्गमीटर था, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिस पर प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.7.2011 को संस्थान को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने संबंधी निर्णय लिया गया था जिसे राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की 91 वीं बैठक दिनांक 11.5.2012 में वापस लेते हुये प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक तक/प्रनिबो/2003 भोपाल,दिनांक

कार्यालय आदेश ::

इस बोर्ड के आदेश क्रमांक 8370/तक/प्रनिबो/95 दिनांक 16/5/95 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम 1974 की धारा 12 (3वीं) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 15 के अंतर्गत ग्रीन कैटेगरी तथा आरेंज कैटेगरी के उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण की शक्तियाँ आँचलिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई थी ।

इस बोर्ड ने अपने आदेश क्रमांक 5087 स्था/प्रनिबो/03 भोपाल,दिनांक 21/3/03 के द्वारा आँचलिक कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया है । अतः पूर्व में संदर्भित आदेश के तहत् आँचलिक अधिकारियों को ग्रीन कैटेगरी तथा आरेंज कैटेगरी के उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण की दी गई शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

पृ0क्र0 5086 /तक./प्रनिबो/03 भोपाल दिनांक 5-4-03

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री जोन-1,2,3,4,5 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जल उपकर/परिवाद/पूर्व/ई.आर.सी./ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल,इंदौर/धार(इंदौर),ग्वालियर,उज्जैन,रीवा सतना,गुना,जबलपुर, सागर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ.ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

NOTICE70

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई-5, सेक्टर अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2002

क्र. 19506.--- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 के तहत गठित म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य प्रदूषणजनक गतिविधियों के लिए दूषित जल या वायु निस्सारण हेतु राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है. इसी तरह पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के अंतर्गत बोर्ड से संबंधितों को प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है. उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमों में प्रदत्त शक्तियों [जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 (4), (III), वायु अधिनियम,1981 की धारा 21 (5) (VI) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के नियम 6(3) (4)] का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 289, दिनांक 7 जनवरी, 1995 के पैरा क्रमांक 2 में संशोधन एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका दिनांक 24-8-01 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा संबंधितों को दी जाने वाली सम्मति प्राधिकार एवं आगामी अवधि के नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :--

जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत सम्मति एवं नवीनीकरण :--

क्रमांक	वृहद /मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/ प्रदूषणजनक गतिविधियां	आगामी सम्मति/आगामी नवीनीकरण की अधिकतम अवधि.
1.	लाल	3 वर्ष
2.	नारंगी	5 वर्ष
3.	हरी	10 वर्ष

जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत सम्मति एवं नवीनीकरण एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम के अंतर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण.

क्रमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी	आगामी सम्मति/ प्राधिकार/आगामी नवीनीकरण की अधिकतम अवधि.
1.	नगर निगम	3 वर्ष
2.	नगर पालिकायें	5 वर्ष
3.	नगर पंचायत	10 वर्ष

सम्मति/प्राधिकार/उनके आगामी नवीनीकरण संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर आवश्यक शर्तों के साथ किये जा सकेंगे एवं इस विषय में अधिकतम समयसीमा का निर्धारण का अंतिम अधिकार राज्य बोर्ड/ अध्यक्ष म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्राधिकृत अधिकारी का होगा.

आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार होगी :--

1. अधिसूचना क्रमांक 289 भोपाल, जनवरी, 05, 1998 (परिवर्तन होने पर अद्यतन राजपत्र) के अनुसार वांछित अधिकतम आवेदित अवधि के लिए आवश्यक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा.

2. किसी प्रकार का उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया/कच्चे माल/दूषित जल की मात्रा/ठोस अपशिष्ट की मात्रा/उत्सर्जन की मात्रा/ईंधन की मात्रा/प्रक्रिया आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. परिवर्तन होने पर नई सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. सिंह,

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 की उपधारा "ग" तथा "घ" में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक दूषित जल एवं घरेलू दूषित जल के नदी, नालों अथवा प्राकृतिक जलस्रोतों में निस्राव हेतु अथवा जल-मल अथवा कृषि कार्यों हेतु भूमि पर निस्राव एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (6) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वातावरण में व्याप्त वायु प्रदूषण उत्सर्जनों के मानक निर्धारित किये थे, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1988 में प्रकाशित हुए हैं. उनमें जिन उद्योगों के मानक पूर्ण रूप से प्रकाशित (अपटूडेट) नहीं हैं, वहां पर पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जारी मानक लागू होंगे.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

(1691)

ए. के. सिंह,
सदस्य सचिव.

214

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई–5 सेक्टर अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / विधि / प्रनिबो / 2002 भोपाल, दिनांक

आदेश

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार एवं पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 908(अ) दिनांक 25.9.2000 के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 दिनांक 25.9.2000 भारत के राजपत्र में अक्टूबर 2000 में प्रकाशित हुये हैं ।

इन नियम की धारा 6(2) के प्रावधान के अनुसार नगरीय निकायों को प्रारूप एक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपशिष्ठों के प्रसंस्करण और व्ययनसुविधा की स्थापना के लिये प्राधिकार प्राप्त किया जाना है । इस नियम के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राधिकार दिये जाने के अधिकार दिये गये हैं । इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नगरीय निकायों के द्वारा निर्धारित अवधि में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का कार्य किया जाना है ।

अतः राज्य बोर्ड ने 101 वीं बैठक दिनांक 10.6.2002 मे निर्णय लिया है कि ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को प्राधिकार जारी करने हेतु आंचलिक अधिकारी को अधिकार दिये जाते हैं । जहां पर आंचलिक कार्यालय नहीं हैं वहा क्षेत्रीय अधिकारी को प्राधिकार जारी करने के अधिकार दिये जाते हैं । उक्त नियम के अन्तर्गत नगर निगम को प्राधिकार दिये जाने के अधिकार अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होंगे ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम
से तथा आदेशानुसार

हस्ता

(ए. के. सिंह)
सदस्य सचिव

पृ०क्र० / 11517 / परि / प्रनिबो / 2002 भोपाल,दिनांक 6-7-02

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जल उपकर / पश्चिम / पूर्व / ईआरसी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।,
4. अधीक्षण यंत्री, पूर्व / पश्चिम / मध्य / परियोजना म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर जबलपुर ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल / इन्दौर–1 / इन्दौर / ग्वालियर / उज्जैन / रीवा / सतना / सागर / जबलपुर / गुना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(ए. के. सिंह)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 1995

क्रमांक 605/B/32/95

// आ दे श //

राज्य शासन के आदेश क्रमांक 9411/32/94, भोपाल, दिनांक 22-11-94 के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा यह आदेश देता है कि, जल तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति जारी करने के पूर्व प्रत्येक प्रकरण में संबंधित नगरीय निकायों से अभिमत प्राप्त किया जाय। अभिमत देने हेतु तीन सप्ताह की समयावधि निर्धारित की जाय। इस अवधि में अभिमत प्राप्त न होने पर यह माना जाएगा कि सम्मति देने में संबंधित निकाय को सहमति है। समयावधि में अभिमत प्राप्त होने पर उसे म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार में लिया जाय तथा यदि अभिमत अस्वीकार किया जाता है तो अस्वीकृति का कारण लेख किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(पी. डी. शर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 95

पृ. क्रमांक 516/B/32/95
प्रतिलिपि:-

1- सचिव, मुख्यमंत्री जी, म०प्र०शासन, भोपाल।
2- निज सचिव, पर्यावरण मंत्री जी, म०प्र० शासन।
3- निज सचिव, स्थानीय शासन मंत्री जी, म०प्र०शासन।
4- शासन के समस्त विभाग।
5- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6- अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7- समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

(पी. डी. शर्मा)
अवर सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 9411 /32/94, भोपाल, दिनांक 22/12/94

// आ दे श //

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी गतिविधियों में स्थानीय जानकारी पूर्ण रूप से मिलें तथा जन प्रतिनिधियों के अनुभव तथा ज्ञान का भी लाभ मिलें। इस परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 18 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा आदेश देता है कि :-

(1) जल तथा वायु अधिनियमों के तहत जब भी किसी उद्योग तथा अन्य संस्थान को सम्मति दी जाती है तो इसकी सूचना समस्त शर्तों सहित संबंधित नगरीय निकायों को दी जावेगी। जो उद्योग/संस्थान पहले से स्थापित है तथा जिन्हें सम्मति दी गई है उनकी सूची भी संबंधित नगरीय निकायों को भेजी जायेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष सम्मति के नवीनीकरण करने/समाप्त करने अथवा न करने की जानकारी प्रत्येक नगरीय निकाय को भेजी जायेगी।

(3) जब भी किसी उद्योग/संस्थान के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही स्थापित की जाती है तो उसकी सूचना संबंधित नगरीय निकाय को दी जावेगी। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा अंतिम फैसले की जानकारी भी भेजी जायेगी।

(4) जल तथा वायु अधिनियमों के अंतर्गत जो भी मानक स्थापित किये गये अथवा किये जावेंगे उनकी जानकारी सभी नगरीय निकायों को भेजी जावेगी।

(5) यदि किसी नगरीय निकाय द्वारा पाया जाता है कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग/संस्थान जिसे जल तथा वायु अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त करनी है, बिना

......2...

सम्मति प्राप्त किये कार्यरत है तथा ऐसी जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से अथवा बोर्ड के स्थायी/क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अथवा सीधे बोर्ड के मुख्यालय को प्रेषित करेगा। बोर्ड इस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी० डी० अग्रवाल)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5सेक्टर,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

पृ.क्र. /प्रनिबो/95 भोपाल,दिनांक /95

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त...।
2. बोर्ड के समस्त अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल। को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। ~~औपचारिक आदी~~

सदस्य सचिव.

158

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 9512/स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक : 31/5/95

कार्यालय आदेश

बोर्ड के आदेश क्रमांक 8557/स्था/प्रनिबो/95, दिनांक 22/5/95 में दिये गये निर्देशों के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि - ग्रोथ सेंटर के एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत कार्यालय में पदस्थ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उनके कार्यालय में प्राप्त केवल लघु उद्योगों के प्रकरण के निराकरण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे । इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक : / /95

प्रतिलिपि :-

1/ अधीक्षण यंत्री (पूर्व), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
2/ क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर ।
3/ श्री एस.के. उपाध्याय, वैज्ञानिक, इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, उरला ।
4/ श्री एस.के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
5/ लेखा शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
6/ व्यक्तिगत नस्ती ।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

161

क्रमांक/9511 /तक/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 31.5.95

म.प्र.राज्य के ग्रोथ सेन्टर के एकल खिड़की प्रणाली अंतर्गत स्थापित कार्यालयों में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पदस्थ अधिकारियों (प्रभारी क्षेत्रीय - अधिकारियों) हेतु कार्य प्रणाली

1. ग्रोथ सेन्टर में एकल खिड़की प्रणाली के तहत पदस्थ अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्हें स्वतन्त्र रूप से प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया गया है वे क्षेत्रीय अधिकारियों के समान प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग, केवल एकल खिड़की में प्राप्त लघु श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/नवीनीकरण आवेदन-पत्रों के निपटारे हेतु स्वतन्त्र रूप से करेंगे ।

2. ग्रोथ सेन्टर के एकल खिड़की कार्यालय मूलतः संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल/रायपुर/ग्वालियर/इन्दौर) का उपक्षेत्र है । इसलिये संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे एकल खिड़की में सुचारू कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें व वहां पदस्थ अधिकारी (प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी) की समस्याओं का निराकरण करेंगे ।

3. यदि संबंधित ग्रोथ सेन्टर में प्रस्तावित लघु श्रेणी का उद्योग प्रेस-नोट 17 के अन्तर्गत श्रेणी का है तो ऐसे प्राप्त आवेदन-पत्रों के बारे में उद्योगपति को यह सलाह दी जायेगी कि प्रकरण के बारे में संभाग स्तरीय पर्यावरण समिति के संयोजक, संयुक्त संचालक, उद्योग के कार्यालय में सम्पर्क करें । ऐसे प्रकरणों पर बोर्ड की ओर से कार्यवाही ग्रोथ सेन्टर से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही सुनिश्चित की जायेगी ।

4. ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत वृहद, मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योगों के नवीन सम्मति अथवा नवीनीकरण इत्यादि के आवेदन एकल खिड़की कार्यालय में भी प्राप्त किये जा सकेंगे । एकल खिड़की अधिकारी (प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी) का यह दायित्व होगा कि वे इन आवेदन-पत्रों को दो दिन की अवधि के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करें यदि संभव हो तो वे उद्योगपति को आवेदन-पत्र मूलतः बोर्ड मुख्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे जमा कराने की सलाह देवें ।

5. ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत लघु श्रेणी के उद्योगों के प्रकरणों के निपटारे हेतु उद्योगों का निरीक्षण एकल खिड़की अधिकारी (प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी) द्वारा किया जायेगा परन्तु लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों का [illegible]

162

आकस्मिक निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा । चूंकि एकल खिड़की कार्यालय में प्रयोगशाला इत्यादि की व्यवस्था नहीं होगी ।

6. ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत मध्यम एवं वृहद श्रेणी से संबंधित उद्योगों का स्थल निरीक्षण मानीटरिंग का कार्य, जांच इत्यादि का कार्य संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूर्ववत किया जायेगा ।

7. एकल खिड़की अधिकारी (प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी) हर माह के अन्त में निपटाये गये सम्मति प्रकरणों/नवीनीकरण प्रकरणों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेंगे जहां से पूर्ण क्षेत्र की जानकारी को अंतिम रूप दिया जाकर हर माह की 5 तारीख तक मुख्यालय भेजा जायेगा । उपरोक्त अधिकारी द्वारा पत्राचार सामान्य रूप से क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल/ रायपुर/ग्वालियर/इन्दौर के माध्यम से किया जायेगा ।

उपरोक्त कार्यप्रणाली जारी होने की तिथि से सभी ग्रोथ सेन्टर कार्यालयों हेतु लागू मान जायेगी।

(1) सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये
तथा आदेशानुसार

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल,

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

/53

क्रमांक/ 8370 /तक/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12 (3 बी) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 15 के अन्तर्गत मध्यम वर्ग के उद्योगों के सम्मति के नवीनीकरण के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित करता है :-

1. म.प्र.राजपत्र दिनांक 13.1.95 के भाग 3 (1) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 289 दिनांक 7.1.95 में वर्णित ग्रीन केटेगरी तथा ओरेंज केटेगरी के मध्यम वर्ग के उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण की शक्तियाँ आंचलिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है ।
2. उपरोक्त उद्योगों से संबंधित नवीनीकरण प्रकरणों के शुल्क, रिकार्ड, जांच, निरीक्षण मॉनिटरिंग व आंचलिक अधिकारी को प्रकरणों की प्रस्तुति का कार्य संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।
3. प्रत्येक आंचलिक कार्यालय द्वारा माह के अन्त में उपरोक्त नवीनीकरण प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूची आवश्यक जानकारी के साथ बोर्ड मुख्यालय को भेजी जावेगी ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

राज्य बोर्ड के नाम से तथा
आदेशानुसार

18/5
सदस्य सचिव
o/c म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

पृ.क्र./ 8371 /तक/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

प्रतिलिपि:-

1. समस्त आंचलिक अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त क्षेत्रीय/ग्रोथ सेन्टर अधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित कि वे केवल मध्यम श्रेणी के ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योगों के जांच प्रतिवेदन अब आंचलिक अधिकारी को भेजे

166

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक/ /तक/प्रा‌निबो/95 भोपाल, दिनांक

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12 (3 की) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 15 के अन्तर्गत मध्यम वर्ग के उद्योगों के सम्मति के नवीनीकरण के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता है :-

1. म॰प्र॰राजपत्र दिनांक 13.1.95 के भाग 3 (1) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 289 दिनांक 7.1.95 में वर्णित ग्रीन केटेगरी तथा ओरेंज केटेगरी के मध्यम वर्ग के उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण की शक्तियाँ आंचलिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है।
2. उपरोक्त उद्योगों से संबंधित नवीनीकरण प्रकरणों के शुल्क, रिकार्ड, जांच, निरीक्षण मॉनीटरिंग व आंचलिक अधिकारी को प्रकरणों की प्रस्तुति का कार्य संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. प्रत्येक आंचलिक कार्यालय द्वारा माह के अन्त में उपरोक्त नवीनीकरण प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूची आवश्यक जानकारी के साथ बोर्ड मुख्यालय को भेजी जावेगी।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राज्य बोर्ड के नाम से तथा
आदेशानुसार

सदस्य सचिव,
म॰प्र॰प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

पृ॰क्र॰/8371 /तक/प्रा‌निबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

प्रतिलिपि:-

1. समस्त आंचलिक अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ✓ कार्यालय
2. समस्त क्षेत्रीय/ग्रोथ सेन्टर क्षे॰ अधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित कि वे केवल मध्यम श्रेणी के ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योगों के जांच प्रतिवेदन अब आंचलिक अधिकारी को भेजेंगे।
3. समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ।

166

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक/ /तक/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड जल [प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण] अधिनियम 1974 की धारा 12 [3 की] तथा वायु [प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण] अधिनियम 1981 की धारा 15 के अन्तर्गत मध्यम वर्ग के उद्योगों के सम्मति के नवीनीकरण के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता है :-

1. म॰प्र॰राजपत्र दिनांक 13॰1॰95 के भाग 3 [1] में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 289 दिनांक 7॰1॰95 में वर्णित ग्रीन केटेगरी तथा ओरेंज केटेगरी के मध्यम वर्ग के उद्योगों की सम्मति नवीनीकरण की शक्तियाँ आंचलिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है।
2. उपरोक्त उद्योगों से संबंधित नवीनीकरण प्रकरणों के शुल्क, रिकार्ड, जांच, निरीक्षण मॉनिटरिंग व आंचलिक अधिकारी को प्रकरणों की प्रस्तुति का कार्य संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. प्रत्येक आंचलिक कार्यालय द्वारा माह के अन्त में उपरोक्त नवीनीकरण प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूची आवश्यक जानकारी के साथ बोर्ड मुख्यालय को भेजी जावेगी।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राज्य बोर्ड के नाम से तथा
आदेशानुसार

सदस्य सचिव,
म॰प्र॰प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

पृ॰क्र॰ 18371 /तक/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

प्रतिलिपि:-

1. समस्त आंचलिक अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय/औद्योगिक सेन्टर अधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित कि वे केवल मध्यम श्रेणी के ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योगों के जांच प्रतिवेदन अब आंचलिक अधिकारी को भेजें।
3. समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 9523/स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक : 4/[illegible]/95

कार्यालय आदेश

बोर्ड के आदेश क्रमांक 8537/स्था/प्रनिबो/भोपाल दिनांक 22/5/95 में "कोरबा क्षेत्र" के स्थान पर "कोरबा उपक्षेत्र" पढ़ा जावें ।

(पी॰के॰ बेनर्जी)
सदस्य सचिव

पृ॰क्र॰ /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक : / /95

प्रतिलिपि :-

1/ अधीक्षण यंत्री (पूर्व), म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

2/ क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुर्ग ।

3/ उप क्षेत्रीय अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोरबा ।

4/ श्री बी॰एस॰ ठाकुर, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

5/ लेखा शाखा, म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल॰

6/ व्यक्तिगत नस्ती ।

(पी॰के॰ बेनर्जी)
सदस्य सचिव
म॰प्र॰ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल॰

155

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, सेक्टर,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

क्रमांक 8568 /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 22-5-/95

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्री अनूप बेहरे, सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर को समान सामर्थ्य में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, मंडीदीप में पदस्थ किया जाता है। श्री बेहरे मंडीदीप क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से प्रभारी, क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

यह आदेश पदोन्नति आदेश नहीं माना जायेगा।

(पी. के. बैनर्जी)
(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव.

पृ.क्र. /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक /95

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण यंत्री (पश्चिम), तकनीकी शाखा, मुख्यालय भोपाल।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. श्री एम.के. मंडराई, सहायक यंत्री, मॉनिटरिंग सेंटर, मंडीदीप।
4. श्री अनूप बेहरे, सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. लेखा शाखा, मुख्यालय, भोपाल।
6. व्यक्तिगत नस्ति।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.

186

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर
अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 8557 /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 22-5-/95.

:: कार्यालय आदेश ::

श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर को समान सामर्थ्य में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, उरला में पदस्थ किया जाता है । श्री श्रीवास्तव, उरला क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से प्रभारी, क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

यह आदेश पदोन्नति आदेश नहीं माना जावेगा ।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव.

पृष्ठां0क्रमांक /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक /95.

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर
2. श्री एस. के. उपाध्याय, वैज्ञानिक, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, उरला ।
3. श्री ... एस0के0श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. लेखा शाखा, मुख्यालय, भोपाल ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल.

157

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर
अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 8537 /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक 22.5/95.

:: कार्यालय आदेश ::

श्री बी. एस. ठाकुर, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग को समान सामर्थ्य में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उपक्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा में पदस्थ किया जाता है । श्री ठाकुर, कोरबा क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से प्रभारी, क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

यह आदेश पदोन्नति आदेश नहीं माना जावेगा ।

(हस्ताक्षर)
(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव.

पृष्ठां०क्रमांक /स्था/प्रनिबो/95 भोपाल, दिनांक /95.

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुर्ग ।
2. उपक्षेत्रीय अधिकारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा ।
3. श्री बी. एस. ठाकुर, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. लेखा शाखा, मुख्यालय, भोपाल ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

(पी. के. बैनर्जी)
सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

159

क्रमांक/ 8368 /तक/प्रानिबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी बोर्ड के आदेश क्रमांक 7940/प्रानिबो/तक/88 भोपाल, दिनांक 26.8.88 तथा पत्र क्रमांक 12215/तक/प्रानिबो/दिनांक 19.8.94 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते है :-

1. लघु उद्योगों के जल एवं वायु सम्मति का सभी वर्षों का नवीनीकरण क्षेत्रीय अधिकारियों/ग्रोथ सेन्टर के एकल खिड़की कार्यालय में पदस्थ अधिकारी द्वारा किया जावेगा। यह कार्यवाही म.प्र.राजपत्र दिनांक 31.1.95 भाग 3(1) क्रमांक 289 दिनांक 7.1.95 को ध्यान में रखते हुये की जावेगी।
2. ग्रोथ सेन्टर में एकल खिड़की कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
3. उपरोक्त कार्यालयों द्वारा सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति की जानकारी हर माह के अन्त में मुख्यालय को भेजी जावेगी।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर
से एवं आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

पृ.क्र./ 8369 /तक/प्रानिबो/95 भोपाल, दिनांक 18-5-95

प्रतिलिपि:-

1. सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल.

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

// आ दे श //

क्रमांक एफ-5-35/32/94 भोपाल, दिनांक 14.12.1994

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-35/32/94 दिनांक 1.11.94 के तारतम्य में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि "डायमण्ड कटिंग एवं पालिशिंग उद्योग" की सभी श्रेणियों के उद्योगों के लिये इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-15/32/94 दिनांक 30.4.94 द्वारा निर्धारित सरलीकृत सम्मति प्रक्रिया लागू होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डी० डी० अग्रवाल)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्रं. एफ-5-35/32/94, भोपाल, दिनांक 14.12.1994

प्रतिलिपि:-

1. उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर म.प्र. की ओर राजपत्र के सामान्य सूची भाग 3(1) में प्रकाशित करने हेतु कृपया राजपत्र की 25 प्रतियां भेजने का कष्ट करें।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग।
4. समस्त संभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स मध्य प्रदेश।
6. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड, भोपाल।

(डी० डी० अग्रवाल)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

//नागर//91294

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

153

क्रमांक/ 12255 /तक/प्रनिबो/94 भोपाल, दिनांक 19/8/94

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इन्दौर संभाग के दौरान लिये गये निर्णय के फलस्वरूप पीथमपुर, मण्डीदीप, उरला एवं मालनपुर औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर में एकल खिड़की प्रणाली के संचालन हेतु स्थापित कार्यालय में बोर्ड के अधिकारी पदस्थ किये गये है। उपरोक्त ग्रोथ सेन्टर में पदस्थ अधिकारी को ग्रोथसेन्टर से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों के लिये बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के समतुल्य समस्त शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

(पी.के.बैनर्जी)
सदस्य सचिव,

पृ.क्र./ 12256 /तक/प्रनिबो/94 भोपाल, दिनांक 19-8-94

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर/भोपाल/रायपुर एवं ग्वालियर।
5. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग इन्दौर को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 310/स्टे./94 दिनांक 9.8.94 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
6. आंचलिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर/रायपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर/इन्दौर/भोपाल ग्वालियर।
8. वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, पीथमपुर/मण्डीदीप/उरला/मालनपुर।

(पी.के.बैनर्जी)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

R. No. 1107
Date 6.4.92
JABALPUR

क्रमांक /प्रनिबो/92 भोपाल, दिनांक

आदेश

20 सूत्र का कार्यान्वयन विभाग की परामर्श समिति की बैठक दिनांक 3.8.91 में दिये गये सुझावों के अनुसार नये उद्योगों की स्थापना के पूर्व निम्न सुझावों पर समुचित ध्यान दें :-

[क] नये उद्योग बस्तियों से दूर लगाये जावें ।

[ख] कारखानों का दूषित जल नदियों में प्रवाहित न हो ।

[ग] भारतीय मानक के अन्तर्गत ही धुआँ हो तथा उद्योग ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाये जिससे की धुआँ बस्तियों में न जावे ।

[घ] चूना भट्टी/ ईंट भट्टी तथा अल्कोहल प्लांटों से होने वाले प्रदूषण पर अधिक ध्यान दें ।

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल,

पृ.क्र./4678/प्रनिबो/92 भोपाल, दिनांक 1/4/92

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल,

6.4.92